''अगर तुम रसुल (सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे'' (कुरआन)

एक बातचीत

अब्दुल्लाह : अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ।

अहमद : वालेकुमस्लाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू । कहिये ।

अब्दुल्लाह : एक मसला दर्याफ्त करने आया हूं ।

अहमद : फरमाईये । बंदा हाजिर है ।

अब्दुल्लाह : सुना है अहले हदीस एक नया ही फिरका निकला है जो न सहाबा-ए-किराम को मानते है न इमामो को बल्कि बुजुर्गो को भी गालियां देते है ।

अहमद : भाई । यह झूठी बाते फैलाई हुई है (प्रोपेगण्डा), हम न किसी को बुरा कहते है, न गाली देते है, बल्कि इज्जत वालो की इज़्ज़त करते है ।

अब्दुल्लाह : आप इमामो को मानते है ।

अहमद : क्यो नहीं ।

अब्दुल्लाह : लेकिन लोग तो कहते हैं आप इमामों को नहीं मानते ।

अहमद : ईसाई भी तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते ?

अब्दुल्लाह : हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते है ।

अहमद : फिर ईसाई क्यो कहते है कि नहीं मानते ।

अब्दुल्लाह : इसलिये कि जैसे वो मानते है वैसा हम नहीं मानते ।

अहमद : उसी तरह से लोग हमें कहते है क्योकि जैसे वो इमामो को मानते हैं वैसे हम नहीं मानते

अब्दुल्लाह : वो इमामो को कैसे मानते है ?

अहमद : नबियों की तरह ।

अब्दुल्लाह : नबियों की तरह कैसे ?

अहमद : उनकी पैरवी करते है, उन के नाम पर फिरके बनाते है जबकि पैरवी और निस्बत सिर्फ नबी का हक है । कितने अफसोस की बात है कि ईसाई जो काफिर है वो तो अपनी

निस्बत अपने नबी की तरफ करके ईसाई कहलाये और आप मुसलमान हाते हुए अपने नबी को छोड़कर अपनी निस्बत इमाम की तरफ करे और हनफी कहलाये । क्या ईसाई अच्छे न रहे जिन्होंने कम से कम निस्बत तो अपने नबी की तरफ की ।

अब्दुल्लाह : आप जो हनफी नहीं कहलाते तो क्या इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते ?

अहमद : अगर हम हनफी नहीं कहलाते तो उस के यह मानी तो नहीं कि हम उनको इमाम नहीं मानते । हम उन को इमाम मानते है लेकिन नबी नहीं मानते कि आप की तरह उन के नाम पर हनफी कहलाये । आप ही बताये आप जो शाफई नहीं कहलाते तो क्या इमाम शाफई रह0 को नहीं मानते ?

अब्दुल्लाह : हम इमाम शाफई रह0 को जरूर मानते है लेकिन जब हनफी कहलाते है तो फिर शाफई कहलाने की क्या जरूरत ।

अहमद : हमें भी मुहम्मदी या अहले हदीस कहलाने के बाद हनफी कहलाने की क्या जरूरत ।

अब्दुल्लाह : आप मुहम्मदी क्यो कहलाते है ।

अहमद : आप अपने इमाम के नाम पर हनफी कहलाये हम अपने रसुल हज़रत मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुहम्मदी कहलाते है जिन्हे हम अपना इमाम तस्लीम करते है और हमारे इमाम तो सारे नबियो के भी इमाम है और सारी कायनात मे हमारे इमाम की बात के बाद किसी नबी के लिये भी ये गुंजाईश नहीं की वो इसके खिलाफ बोले या करे । अब आप बताईये ये निस्बत बेहतर है या हनफी ।

अब्दुल्लाह : निस्तब तो मुहम्मदी ही बेहतर है लेकिन हनफी भी तो गलत नहीं ।

अहमद : गलत क्यो नहीं ? रसुल के होते हुये फिर किसी और की तरफ मंसूब होना किस शरियत का मसला है ? हुजुरे अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर किसी और की तरफ निस्बत करने का मतलब यह है कि वो गलतकार है और अपने आपको गैर की तरफ मंसूब करता है । रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया – ला तरग्बू अन आबाएकुम फमन रगेबा अन अबीहे फकद कफर यानि जो अपने बाप से निस्बत तोड़ता है तो कुफ्र करता है (मिश्कात)

दूसरी हदीस मे फरमाया ' ''मनिद'दआ इला गैरे अबीहे व होवा यालमो फिल जन्नतो अलेहे हराम'' यानि जो अपनी निस्बत गैर बात की तरफ करता है उस पर जन्न्त हराम है (मिश्कात)

जब आहंजरत सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीनी रहनुमा है तो उनको छोड़कर गैर की तरफ निस्बत करना बेदीनी नही तो और क्या है ? इसके अलावा आप बताये हनफी बनने के लिये किसने कहा है ? क्या अल्लाह ने कहा या उस के रसुल ने या खुद इमाम साहब ने ? जब हनफी बनने के लिये किसी ने कहा नहीं हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं, हनफियत नाम की इस्लाम मे कोई दावत नहीं तो हनफी निस्बत गलत क्यो नहीं?

अब्दुल्लाह : हनफी कहलाने वाले जितने पहले गुज़रे है क्या वो सब गलत थे ?

अहमद : पहले के हनफी जो थे उनकी यह निस्बत शागिर्दी की निस्बत थी, मज़हबी निस्बत नहीं थी । यह निस्बत गुमराही उस वक्त बनती है जब मज़हबी हो और फिरक़ापरस्ती की बुनियाद पर हो अगर यह निस्बत उस्तादी शागिर्दी की हो तो कोई हर्ज नहीं । और यही सवाल कि जो पहले गुजर गये क्या वो गलत थे यही सवाल फिरऔन ने हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम से किया था तो हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम ने कहा ''इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब मे दर्ज है, मेरा रब न चुकता है और न भुलता है'' (सुरह ताहा आयत 51–52) ।

अब्दुल्लाह : अगर हनफी कहलाना सही नहीं क्योंकि फिरकापरस्ती है तो अहले हदीस कहलाना भी तो फिरकापरस्ती है ।

अहमद : अहले हदीस कोई फिरका नहीं है अहले हदीस तो ऐन इस्लाम है इस्लाम नाम नबी की पैरवी का है नबी की पैरवी उन की हदीस पर अमल करने से हो सकती है लिहाज़ा अहले हदीस बने बगैर तो चारा ही नहीं । और अहले हदीस सिफाती नाम है, जैसे अल्लाह का ज़ाती नाम ''अल्लाह'' है और रहीम, रहमान, गफ्फार, करीम, कुद्दुस, गौस, वगैरह वगैरह ये सब अल्लाह के सिफाती नाम है, जैसे मदीना के सहाबा अंसार कहलाये अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला और उन्होने हिजरत करके आने वाले सहाबा की मदद की इसलिये उनका सिफाती नाम ''अंसार'' हुआ । और जो सहाबा किराम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गये उनका सिफाती नाम ''मुहाजिर'' हुआ । जिस तरह हज़रत अब्दे शम्स रदिअल्लाह ताआला अनहू का सिफाती नाम ''अबुहुरैरा'' पड़ा उन्हे इसी नाम से आज तक जाना जाता है असली नाम से कम ही लोग वाकिफ है । उसी तरह हमारा ज़ाती नाम 'मुसलमान' है और चूंकि हम

हर अमल पर हुजुर अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल, अमल, तकरीरी (हदीस) को हुज्जत समझते है इसलिये हमारा सिफाती नाम अहले हदीस है । और सारे के सारे सहाबा, ताबई, ताबे ताबई मुहद्देसीन, फुकहा किराम, सल्फ सालेहीन सब अहले हदीस ही थे ।

अब्दुल्लाह : हदीस को तो हम भी मानते है ।

अहमद : सिर्फ मानते ही है अमल नहीं करते अगर अमल करते होते तो अहले हदीस होते । आदमी मानता बहुतो को है लेकिन मंसूब उसी की तरफ होता है जिस से ज्यादा ताल्लुक होता है । मानने को तो आप हदीस को भी मानते है और इमाम शाफाई रह0 को भी, लेकिन अहले हदीस कहलाते है ना शाफाई बल्कि हनफी कहलाते है क्योकि आपका असल ताल्लुक इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फिकह से है । मानने को हम भी इमामो को को मानते है लेकिन मंसूब सिर्फ मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही होते है क्योकि उनकी पैरवी करते है और उने से ही ज्यादा ताल्लुक है ।

अब्दुल्लाह : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब मानते है नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप का कोई इमाम नहीं ?

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी इमाम की जरूरत है ?

अब्दुल्लाह : जिन्दगी हरकत मे है नये नये मसाइल पैदा होते है आखिर वो किस से ले ?

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से लो ।

अब्दुल्लाह : उन से अब कैसे ले ? वो अब कहां है ?

अहमद : आप हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के कायल नहीं ?

अब्दुल्लाह : क्यों नहीं हयाते नबी का मै जरूरत कायल हूं ।

अहमद : फिर इमाम की क्या जरूरत ? जो लेना हो तो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो

अब्दुल्लाह : वो अब क्या देते है ?

अहमद : अगर कुछ देते नहीं तो हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे और उस का फायदा क्या ?

अब्दुल्लाह : हयात का यह मतलब तो नहीं कि वो अब कुछ देते लेते है ।

अहमद : फिर हयात का और क्या मतलब है ?

अब्दुल्लाह : हयात का मतलब तो यह है कि वो सलाम सुनते है ।

अहमद : क्यो वो सिर्फ सलाम सुनने के लिये हयात है । यह कैसे कि उन के आशिक उन की आंखो के सामने शिर्क, व बिदअत करे और वो उनको गुमराह होता देखते रहे और सलाम सुनते रहे । क्या वो सलाम सुनने के लिये दुनिया मे आये थे या शिर्क व बिदअत को मिटाने और दीन सिखाने के लिये ।

अब्दुल्लाह : दीन तो वो सिखा कर गये, अब क्या सिखाना है ?

अहमद : अगर वो दीन सिखा गये तो फिर इमाम की क्या जरूरत ?

अब्दुल्लाह : जिन्दगी मे नित नये मसाइल पैदा होते रहते है जिनका हल इमाम ही पेश कर सकता है इसलिये इमाम का होना जरूरी है ।

अहमद : आजकल आपका इमाम कौन है जो आपको दरपेश मसले हल करता है ?

अब्दुल्लाह : हमारे इमाम तो इमामे आज़म अबू हनीफा रहमातुल्लाह है ।

अहमद : वो कब पैदा हुये ?

अब्दुल्लाह : सन् 80 हिजरी मे यानी हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर साल बाद ।

अहमद : क्या उनके बारे मे आपका अकीदा हयातुलइमाम का है ?

अब्दुल्लाह : नहीं वो तो फौत हो चुके है ।

अहमद : उनको फौत हुये कितना अर्सा हो गया ?

अब्दुल्लाह : तकरीबन 1280 साल ।

अहमद : जब आप इमाम को हयात भी नही समझते और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानते है और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम साहब की वफात के बीच कोई ज्यादा लंबा अर्सा भी नहीं तो फिर यह क्या बात है कि इमाम की फिकह तो जिन्दगी के मसले हल कर ले और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिकह फेल हो जाये और यह काम न कर सके ।

अब्दुल्लाह : इमाम साहब ने अपनी जिन्दगी मे असूले दीन को सामने रख कर फिकह की ऐसी तदवीन (संकलन) कर दी कि लाखो मसले एक जगह जमा कर दिये जो रहती दुनिया तक काम आयेगे ।

अहमद : हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम क्यो नहीं किया ? आखिर इस की क्या वजह है कि हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशकर्दा दीन तो सिर्फ सौ साल

काम दे सका लेकिन इमाम साहब ने दीन को ऐसे अंदाज़ से पेश किया कि आज तक काम दे रहा है बल्कि कयामत तक काम देता रहेगा । इस की वजह क्या है ? हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सौ साल बाद ही इमाम की जरूरत पड़ गई जो जिन्दगी के बढ़ते हुये मसाइल का हल पेश करे लेकिन इस इमाम के बाद तेरह सौ साल गुजर गये आज तक किसी इमाम की जरूरत पेश नहीं आई । वही इमाम वही फिकह काम दे रहे है और आप उन के नाम पर हनफी चले आ रहे है । अगर इमाम साहब ऐसे ही थे तो उन को हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह होना चाहिये था ताकि इखतिलाफात ही न होते, न मुहम्मदी और हनफी का झगड़ा होता न इमामो का चक्कर होता, सब एक होते और हनफी होते । अजीब बात यह है कि हयातुन्नबी आप हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते है और मसले इमाम साहब के मानते है । कलमा मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते है और हनफी बन कर पैरवी इमाम अबू हनीफा रह0 की करते है ।

अब्दुल्लाह : आप लोग का हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यक़ीन क्यो नहीं ?

अहमद : अगर हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हो तो हम हयातुन्नबी पर यक़ीन करे । इस अकीदे का कोई फायदा हो तो हम उस को माने । जब आप लोग हनफी बन गये तो हयातुन्नबी का अकीदा कहां रहा । हकीकत यह है कि आप लोग जो हयातुन्नबी को मानते है तो सिर्फ रसमी तौर पर । दिल व अक्ल से आप भी इस को सही नही समझते अगर आप लोग इसे सही समझते होते तो कभी हनफी न बनते । आप का हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हनफी बन जाना इस बात की बय्यन दलील है कि आप हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात नहीं समझते वरना कौन ऐसा बदबख्त है जो नबी की मौजुदगी मे इमाम और पीर पकड़ता फिरे । आप जो इमाम और पीर पकड़ते है तो इस का मतलब है कि आप हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो हयात नहीं समझते या काफी नहीं समझते ।

अब्दुल्लाह : आप लोग हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बिल्कुल कायल नहीं है ?

अहमद : हम लोग हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरज़खी हयात के कायल है, दुनियावी हयात के कायल नहीं ।

अब्दुल्लाह : इस का क्या मतलब ?

अहमद : यही कि दुनिया मे आप खुद हयात नहीं बल्कि आप की नबुव्वत जिन्दा है । बरज़ख मे अल्लाह के यहां आप खुद हयात है ।

अब्दुल्लाह : दुनिया मे अगर हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं तो लोग उन से दीन कैसे लेते है ?

अहमद : जिस इमाम को आप पकड़े हुये है वो क्या दुनिया मे है ?

अब्दुल्लाह : दुनिया मे तो वो भी नहीं है ।

अहमद : फिर आप उन से मसले कैसे लेते है ?

अब्दुल्लाह : उनकी तो किताबे मौजूद है ।

अहमद : तो क्या हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की हदीसे मौजूद नहीं ?

अब्दुल्लाह : किताबे तो इमामो ने खुद लिखी है लेकिन हदीस तो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी । उस को तो लोगों ने बाद मे जमा किया है ।

अहमद : फिकहा–ए–हनफी जिस को आप मानते है वो कौन सी इमाम साहब ने खुद लिखी है । वो भी तो लोगों ने ही जमा की है और वो भी बगैर सनद के । इमाम साहब के इन्तेकाल के 278 साल के बाद उनकी तरफ मंसूब करके फिकहा की पहले किताब कुदूरी लिखी गई और बाद मे ना जाने कितनी किताबे बगैर सनद उनकी तरफ मसूंब कर दी गई जिसमे ऐसे ऐसे मसअले मौजूद है अगर इमाम साहब उन्हे देख ले तो शर्म से ज़मीन मे गड़ जाये । और इसके बरअक्स हदीसे रसूल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम लोगों तक पूरी सनद के साथ पहुंची है, इसके अलावा हदीस दीन है अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है, क्योकि अल्लाह सुरह अल हिज्र आयत नं0 9 मे फरमाता है ''बेशक हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले है'' और हदीस भी कलामुल्लाह ही होती है, और अल्लाह मुहद्दीसीने इकराम की कब्रो को नूर से भर दे उन्होने अपनी पूरी जिन्दगी हदीस को जमा करने मे और सहीह, जईफ, और मौजू हदीसो को अलग अलग करने मे वक्फ कर दी । और अब अलहम्दुल्लिाह सहीह और जईफ, मौजू हदीसो की पहचान हो चुकी है । और अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है किसी इमाम की फिकहा का अल्लाह तआला जिम्मेदार नहीं है ।

अब्दुल्लाह : अल्लाह तआला फिकहा का जिम्मेदार क्यो नहीं है ?

अहमद : इसलिये के फिकहा लोगों की राय और कयास को कहते है जो गलत भी हो सकती है और सही भी । फिकहा अल्लाह की वही नहीं होती जो सही ही हो । फिकहा हर इमाम और फिरके की अलेहदा अलहेदा होती है । हदीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है और सब के लिए एक ही होती है, फिकहा बदलती रहती है हदीस बदलती नहीं । लिहाज़ा हदीस दीन है फिकहा दीन नहीं इसीलिए अल्लाह फिकहा का जिममेदार नहीं है ।

अब्दुल्लाह : क्या यह सच है कि फिकहा–ए–हनफी इमाम साहब ने खुद नहीं लिखी ।

अहमद : किसी हनफी आलिम से पूछ ले । अगर कोई साबित कर दे तो .... ।

अब्दुल्लाह : मान लिया कि हदीस रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की है लेकिन हदीस को हर कोई समझ तो नहीं सकता।

अहमद : क्या फिकहा को हर कोई समझ लेता है ?

अब्दुल्लाह : फिकहा तो बहुत आसान है ।

अहमद : क्या बगैर पढ़े आ जाती है ।

अब्दुल्लाह : नहीं, पढ़ना तो पड़ता है ।

अहमद : फिर क्या हदीस पढ़ने से नहीं आती ।

अब्दुल्लाह : आ तो जाती है लेकिन उस का समझना बहुत मुश्किल है क्योकि हदीसो मे इख्तिेलाफ बहुत है हदीसो को समझना तो इमाम ही का काम है ।

अहमद : यह सब दुश्मनाने रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की उड़ाई हुई बात है वरना हदीसो मे इख्तिेलाफ कहा ? इख्तिेलाफ तो फिकहा मे होता है जो नाम ही कौल और राय का है जो है ही इख्तेलाफ का ढेर । हदीस तो रसुल सल्लाल्लाहु के फेल और कौल को कहते है जिसमे इख्तिेलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योकि दीन होने की वजह से अल्लाह उसका जिम्मेदार है ।

अब्दुल्लाह : फिकहा मे भी इख्तेलाफ है ?

अहमद : फिकहा मे तो इतना इख्तिेलाफ होता है कि जिस की कोई हद नहीं । बड़े जरूरी और अहम मसाइल मे भी इख्तिेलाफ है । मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किये हुये पानी को ही ले ले जिस से हर वक्त वास्ता पड़ता है, कोई पाक कहता है, कोई पलीद, कोई ज्यादा पाक, कोई कम पलीद कोई ज्यादा पलीद ।

अब्दुल्लाह : यह तो आलिमो की राय का इख्तिलाफ होगा । इमाम साहब का फैसला क्या है ?

अहमद : इमाम साहब के ही तो मुख्तलिफ कौल है इमाम मुहम्मद रह0 कहते है कि इमाम अबू हनीफा रह0 का कौल है कि इस्तेमाल शुदा पानी खुद पाक है, दुसरी चीज को पाक नहीं कर सकता । इमाम साहब का दूसरा कौल यह है कि इस्तेमाल किया हुआ पानी पलीद है । इमाम हसन रह0 की रिवायत मे निजासते गलीज़ा है और इमाम अबू युसुफ की रिवायत मे निजासते खलीफा (हिदाया 22) मुनयतुल मुसल्ली मे घोड़े की झूठे के बारे मे इमाम अबू हनीफा रह0 की चार रिवायते है :–

एक रिवायत मे नजिस, एक रिवायत मे मशकूक, एक रिवायत मे मकरूह और एक रिवायत मे पाक । बताइए अब हनफी मुकल्लिद किधर जाये किस को सही समझे ? हनफी मौलवी हदीस से तो नफरत दिलाते है इख्तिलाफ का हव्वा दिखाकर और यह नहीं देखते कि हमारे घर मे क्या हो रहा है । इन लोगों की तो यह मिसाल है ''बारिश से भागा और परनाले के नीचे खड़ा हो गया'' हदीस को तो छोड़ा इसलिए कि इसमे इख्तेलाफ है हालांकि उसमें इख्तेलाफ नहीं और फंस गये जाकर इख्तेलाफ की दलदल यानि फिकहा ।

अब्दुल्लाह : आप लोग हमारी तरह किसी एक इमाम को नहीं पकड़ते ?

अहमद : नहीं, अव्वल इसलिये कि हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं । दूसरे यह कि नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा मासूम नहीं जिस से गलती न हो, अगर हम किसी एक को पकड़ेगे और गलती मे भी उस की पैरवी करेगे तो गुमराह हो जायेगे । इमाम तो शायद अपनी इजतिहादी गलती की वजह से बख्शा जाये लेकिन हम मारे जायेगे ।

तीसरे यह कि हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा कामिल नहीं कि जिस को पकड़ कर सारे काम चल जाये । हनफी बनने के बाद बनना पड़ता है – फिर कभी कादरी, कभी चिश्ती, कभी सोहरवर्दी, कभी नक्शबंदी । हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नहीं कि एक को पकड़ कर गुजारा हो । दर दर की ठोकरे खाना पड़ती है ।

चौथे यह कि एक को पकड़ने से बाकी इमामो का इंकार लाज़िम आता है, एक

को पकड़ने से फिरके पैदा होते है दीन के टुकड़े टुकड़े होते है । एक के चार टुकड़े ऐसे ही तो हो गये । कुरआन कहता है ''फिरके फिरके न हो (अलरूम 31–32) ।

जो फिरके बना लेते है वो मुशरिक हो जाते है । नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक को पकड़ना दीन को बरबाद करने वाला खुद को मुश्रिक बनाने जैसा है (हम अल्लाह से इसकी पनाह मांगते है) ।

अब्दुल्लाह : आपका फिरका कब बना है ?

अहमद : हमारा फिरक़ा बना नहीं । फिरका तो वो बनता है जो असल से कटता है और हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक इमाम को पकड़ कर अपना नाम उस के नाम पर रखता है फिर उस की तकलीद करता है । हम तो असल है यानी अहले हदीस और उसी वक्त से है जब से हदीस है । और हदीस उस वक्त से है जब से रसुले करीम सल्लाल्लाहु अलैहि है । हम हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं पकड़ते कि उस की तकलीद करके फिरका बने । हम फिरका नहीं हम असल है जो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है उन की हदीस पर अमल पैरा है ।

अब्दुल्लाह : आप हमारी तरह अहले सुन्नत क्यो नहीं ?

अहमद : आप अहले सुन्नत कहां । आप तो हनफी है । अहले सुन्नत तो हम है जो हनफी शाफई मालिकी हंबली कुछ नहीं सिर्फ अहले सुन्नत है ।

अब्दुल्लाह : आप तो कहते है हम अहले हदीस है ।

अहमद : अहले हदीस और अहले सुन्नत मे कुछ फर्क नहीं असल अहले सुन्नत अहले हदीस ही होते है ।

अब्दुल्लाह : आप अहले हदीस क्यो है ?

अहमद : ताकि हनफी अहले सुन्नत और असली अहले सुन्नत मे फर्क हो जाय । असली अहले सुन्नत वो होता है जो सिर्फ सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबन्द हो, किसी इमाम का मुकल्लिद न हो । वो सुन्नत उसे समझता है जो सही हदीसे रसुल से साबित हो । उस के नज़दीक हदीसे रसुल ही सुन्नत का मेयार है, हदीस से ही हर मसले का हल चाहता है । इसीलिये उसे अहले हदीस कहते है । जब इस्लाम सुन्नते रसुल का नाम है और सुन्नते रसुल बगैर हदीसे रसुल के मिल ही नहीं सकती तो अहले सुन्नत बगैर अहले हदीस के हो ही नहीं सकता । हनफी अहले सुन्नत वो है जो शीआ

के मुकाबले मे अहले सुन्नत वल जमाअत होता है । क्योकि यह सुन्नत और जमाअते सहाबा को मानने का दावेदार है और वो मुन्किर है लेकिन अमलन यह अहले सुन्नत नहीं होता बल्कि हनफी होता है, क्योकि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता है और अहले सुन्नत की तारीफ मे किसी इमाम की तकलीद करना बिल्कुल शामिल नहीं । अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले और हनफी उसे कहते है जो फिकाहे हनफी पर चले । अब दोनो को एक साबित करने के लिए सुन्नते रसुल और फिकाहे हनफी को एक साबित करना जरूरी है जो कि करीबन ना मुमकिन है । जब सुन्नते रसुल और फिकाहे हनफी एक साबित नहीं हो सकते तो अहले सुन्नत और हनफी भी एक नहीं हो सकते । एक फर्क यह भी है कि हनफियत उम्मतियों की बनाई हुई है और सुन्नत नबी की ।

अब्दुल्लाह : अवाम तो हनफियो खास कर बरेलवियों को ही अहले सुन्नत मानते है ।

अहमद : अवाम को नहीं देखा करते । देखा तो हकीकत को करते है कि हनफी बरेलवी की हकीकत क्या है और अहले सुन्नत की क्या ? अहले सुन्नत की हकीकत यह है कि वो सुन्नते रसुल का पाबंद हो, बिदअतों के करीब न जायेगा । हनफी बरेलवी वो है जो इन का पाबंद हो जो खुद ही बिदअत है । अब जिस की ज़ात ही बिदअत हो वो अहले सुन्नत कैसे हो सकता है ?

अब्दुल्लाह : लेकिन बरेलवी तो अहले सुन्नत होने के खुद भी बड़ें जबरदस्त दावेदार है ।

अहमद : जबरदस्त नहीं बल्कि जबरदस्ती दावेदार है । अगर कोई मूंह करे बरेली को और किबला कहे काबे को, रास्ता चले कूफे का और दावा करे मदीने का तो उसे कौन सच्चा कहेगा

अब्दुल्लाह : आप का भी तो दावा ही है कि हम अहले सुन्नत है ।

अहमद : दावा ही नही बल्कि हकीकत है क्योकि हम सिर्फ रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की पैरवी करते है और उन को ही अपना इमाम व हादी और पीर–व–मुर्शिद समझते है । उन के सिवा किसी की तरफ मंसूब नहीं होते हम भी अहले सुन्नत न होते अगर आप की तरह किसी इमाम के मुकल्लिद होते और उस के नाम पर अपनी जमाअत का नाम रखते ।

पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र मे अहले हदीस

अब आप शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह0 का बयाने हक निशान भी सुने जो हमारे हक मे जबरदस्त शहादत है । वो अपनी किताब गुनियातुत्तालेबीन (पेज 294) पर फरमाते है :– ''बिदअतियों की बहुत सी अलामते है जिन से वो पहचाने जाते है, बड़ी अलामत उन की यह है कि वो अहले हदीस को बुरा भला और सख्त सुस्त कहते है और यह सब उस अस्बियत (तंग नज़री) और बुग्ज (ईर्ष्या) की वजह से है जो उन को असल अहले सुन्नत से होता है । अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है और वो अहले हदीस है ।'' शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह0 के इस बयान से वाजेह हो गया कि जो अहले हदीस को बुरा भला कहते है वो बिदअती है और जो बिदअती हो वो अहले सुन्नत नहीं हो सकते । नतीजा यह निकलता है कि :–

1) अहले हदीस को बुरा भला कहने वाले अहले सुन्नत नहीं हो सकते ।
2) जो अहले हदीस के उल्टे सीधे नाम रखते है (कभी वहाबी कहते है कभी गैर मुकल्लिद) वो सब बिदअती है और बिदअती अहले सुन्नत नहीं हो सकते ।
3) अहले सुन्नत सिर्फ अहले हदीस है बाकी सब जबरदस्ती के दावेदार है ।
4) जब शाह जिलानी रह0 निजात पाने वाली जमाअत को अहले सुन्नत करार देते है और वज़ाहत फरमाते है कि अहले सुन्नत सिर्फ अहले हदीस होते है तो साबित हुआ कि वो खुद भी अहले हदीस थे ।
5) जब शाह जिलानी रह0 अहले हदीस थे और थे भी पीरे कामिल, मुसल्लम इन्दलकुल तो मालूम हुआ है कि अहले हदीसो मे बड़े बड़ें वली गुज़रे है ।
6) जाहिल आलिमो का यह कहना बिल्कुल गलत है कि अहले हदीसो मे कोई वली नहीं हुआ ।
7) जो अहले हदीस नहीं था वो वली भी नही था (चाहे जाहिलो ने उसे वली मशहूर कर रखा हो)
8) निजात के लिए और वली के लिए भी अहले हदीस होना जरूरी है । जो अहले हदीस न हो वली बनना तो दरकिनार उस की निजात का मसला भी खतरे मे है ।

अब्दुल्लाह : यह बाते बता कर तो आपने मुझे डरा दिया ।

अहमद : आप खुश किस्मत है जो डर गये वरना कितने लोग है जिन को अपनी निजात की फिक्र नहीं । सिर्फ फिरकापरस्ती में बदमस्त है जो उस की हिमायत को ही दीन की खिदमत

समझते है । सोचने की बात यह है कि पहले हक को पहचाने फिर उस पर पक्का हो जाये ।

अब्दुल्लाह : हक का पता कैसे लगे ? हर एक ही अपने आपको हक़ पर समझता है ।

अहमद : हक तो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहते है और उसी पर चलना राहे निजात है ।

अब्दुल्लाह : कहता तो हर एक यही है कि मैं हक पर हूं यह पता कैसे लगे कि कौन हक पर है ?

अहमद : जो दीन मे मिलावट न करे वो हक पर है । इस उसूल से आप हर एक को जांच सकते है दुनिया मे हर फिरके ने नबी के बाद अपने आपको किसी न किसी की तरफ मंसूब कर रखा है और यह उस के मिलावटी होने की दलील है । अहले हदीस ही एक ऐसी जमाअत है जो किसी तरफ मंसूब नहीं होते सिर्फ नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते है जो हदीस से साबित हो ।

अब्दुल्लाह : सुन्नत का क्या मतलब है ?

अहमद : जो रास्ता रसुले करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मुकर्रर किया हो उसे सुन्नत कहते हैं और उस पर चलने वाले को अहले सुन्नत ।

अब्दुल्लाह : सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कैसे और कहां से लगता है ?

अहमद : हदीस पढ़ने और हदीस के आलिमो से पूछने से ।

अब्दुल्लाह : हदीस के सब ही आलिम होगे ।

अहमद : हदीस के आलिम असल मे तो अहले हदीस ही होते है । हदीस व सुन्नत के बारे में कुछ मालुम करना हो तो अहले हदीस आलिमों से पूछे । फिकह के बारे मे कोई बात जानना हो तो हनफी आलिमो से दर्याफ्त करें ।

अब्दुल्लाह : हदीसे कौन–कौन सी मोतबर है ?

अहमद : हदीस की किताबो के कई दर्जे है । कुछ आला दर्जे की कुछ दरमियाना दर्जे की, कुछ कम दर्जे की और कुछ बेकार । आला दर्जे की तीन किताबे है 1) सहीह बुखारी 2) सहीह मुस्लिम 3) मुअत्ता इमाम मालिक । दरमियाना दर्जे मे तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा और मुसनद अहमद वगैरह । तीसरे दर्जे मे त्हावी, तिबरानी, और बैहकी । तीसरे दर्जे की किताबो मे चूंकि हर तरह की हदीसे है इसलिए आमाल का दारोमदार और मोहद्दिसीन और फिकहा का एतबार सिर्फ पहले और दूसरे दर्जे की

किताबों पर है । चौथे और पांचवे दर्जे की किताबे बहुत हद तक एतबार के लायक नहीं है ।

अब्दुल्लाह : किताबो के यह तकसीम किसने की है ?

अहमद : पहले उलेमा ने । शाह वली उल्लाह साहब देहलवी की हुज्जातुल्लाह पढ़ कर देखे आप को इंशाअल्लाह सब कुछ मालुम हो जायेगा ।

अब्दुल्लाह : इस तकसीम को सब फिरके मानते है ।

अहमद : अहले सुन्नत कहलाने वाले सब फिरके मानते है ।

अब्दुल्लाह : क्या दर्जा अव्वल की किताबों की तमाम हदीसे सही है ?

अहमद : हां करीब करीब सब सहीह है ।

अब्दुल्लाह : अल्लाह ने कुरआन मजीद मे हमारा नाम मुस्लिम रखा है फिर आप अहले हदीस क्यो कहलाते है ?

अहमद : मुस्लिम तो हमारा जाती नाम है जैसा कि बच्चे की पैदाईश पर उस का रखा जाता है लेकिन अहले हदीस हमारा सिफाती नाम है जो हमारे तरीकेकार को ज़ाहिर करता है । आदमी के कई नाम उस के पेशे, मशागिल और उस के औसाफ के पेशेनज़र पड़ जाते है । न यह शरअन मना है उरफन । रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मद और अहमद जाती नाम थे । हाशिर, आकिब, मुक्फी वगैरह बहुत से सिफाती नाम है जो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमताज़ करते है । कुरआन ने ईसाईयो को अहले इंजील कहा है (अलमायदा 47) हदीस मे है 'ऐ अहले कुरआन वित्र पढ़ा करो ।''

अब्दुल्लाह : कुछ भी हो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मे तो यह मुसलमानो का नाम नहीं था ।

अहमद : क्यो नहीं था नाम तो था अगरचे मशहूर नहीं था, क्योकि सब ही दीन को कुरआन से यह फिर मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ही लेते थे, मगर जब शीआ का चर्चा हुआ तो अहले सुन्नत वल जमाअत का नाम मशहूर हुआ , जब इमामों की अंधी तकलीद ने जोर पकड़ा तो अहले हदीस के नाम को फरोग हुआ । सहाबा किराम अपने आप को इन नामो से पुकारते थे ।

हज़रत अबू सईद खुदरी रदिअल्लाह तआला अनहू सहाबी रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस के नवजवान सीखने वालो को देखते तो कहते – नवजवानो

तुम्हे नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मुबारक हो मरहबा नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमे हुक्म दिया है कि अपने इल्मी मजलिसो को तुम्हारे लिए फैला दे और तुम्हे हदीसे समझाये हां हां तुम हमारे खलीफे हो और हमारे बाद तुम ही अहले हदीस हो । देखा आपने ।

अब्दुल्लाह : अगर सिफाती नाम रखना बिदअत नहीं तो फिर हनफी कहलाने मे क्या हर्ज है ?

अहमद : हनफी कहलाने मे बहुत हर्ज है । एक हनफी कहलायेगा तो दूसरा शाफई, इस तरह से इस्लाम मे फिरके पैदा होगे । जब हमारा असली नाम अल्लाह की तरफ से मुस्लिम है तो सिफाती नाम ऐसा होना चाहिये जो असली से मेल रखता हो । हनफियत से इस्लाम की तारीफ नहीं होती क्यों कि हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं है । नाम वो रखना चाहिये जो इस्लाम के मुताबिक हो । अहले हदीस नाम इसीलिए ज्यादा जामे है क्योकि अहले हदीस से मुराद वो जमाअत है जो कुरआन व हदीस पर अमल करे ।

अब्दुल्लाह : हमने सुना है कि आप तकलीद को भी शिर्क कहते है, हालांकि तकलीद का शिर्क से क्या तआल्लुक है ?

अहमद : तआल्लुक क्यो नहीं, तकलीद और शिर्क का तो चोली दामन का साथ है । शिर्क तकलीद की सरजमीन पर ही उगता है । हर मुशरिक पहले मुकल्लिद होता है फिर मुशरिक । अगर तकलीद न हो तो शिर्क कभी पैदा न हो मुकल्लिद अपने इमाम को इतना बड़ा समझता है कि खुद को जानवर मान लेता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अल्लाह का शरीक ठहरा लेता है ।

अब्दुल्लाह : ये तो आपने गलत कहा अल्लाह का शरीक कैसे ?

अहमद : इस तरह कि उस की बात को खुदाई हुक्म समझता है ।

अब्दुल्लाह : यह शिर्क और शरीक ठहराना कैसे हुआ ?

अहमद : अल्लाह का हक अपने इमाम को जो दिया कुरआन मे है ''उन्होने ऐसे शरीक बना रखे है जो उन के लिए दीन मे ऐसे मसले बनाते है जिन की मंजूरी अल्लाह ने नहीं दी'' (सुरह शुरा आयत नं0 21) इस आयत मे जिस के कौल व कयास को दीन समझा जाय उस को अल्लाह ने अपना शरीक करार दिया है । अल्लाह के हुक्म के बिना तो नबी की बात दीन नहीं हो सकती तो फिर आलिमो की राय और कयास को दीन कैसे बनाया जाय । लेकिन मुकल्लिद अपने इमाम की बात को दीन समझता है । अल्लाह

तआला फरमाता है ''यहूद व नसारा जब बिगड़े तो उन्होने अपने उलेगा व मशाइख को रब बना लिया '' (सुरह तौबा–31) । अदी बिन हातिमताई रदिअल्लाह अनहू जब मुसलमान हुये तो उन्होने पूछा या रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम हमने तो अपने उलेमा और मशाइख को रब नहीं बनाया था आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम उन के हलाल कर्दा को हलाल और उन के हराम कर्दा को हराम नहीं समझते थे यानी की उन की राय को दीन नहीं बना लेते थे ? उन्होने कहा यह बात तो थी, आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो रब बनाना है (तिर्मिजी) ।

अब्दुल्लाह : हम तो अपने इमाम को रब नही बनाते हम तो सिर्फ इमाम मानते है ।

अहमद : रब तो वो ईसाई और यहूदी भी नहीं कहते थे लेकिन दर्जा उन को रब का देते थे इसीलिए अल्लाह ने इसे रब बनाना करार दिया है । नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती । आखिर आप इमाम क्यो बनाते है ?

अब्दुल्लाह : दीन के मसले लेने के लिए ।

अहमद : यही काम तो यहूद व नसारा किया करते थे जैसा कि हज़रत अदी बिन हातिमताई रदि0 ने मुसलमान होकर तस्लीम किया । क्या ऐसी इमामत की इस्लाम मे गुजांईश है ?

अब्दुल्लाह : क्या कुरआन मजीद मे नहीं ''व ज अलना हुम अइम्मतैयहदुना बेअमरेना'' और हमने उन्हे इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों को राह दिखाते थे (सुरह अल अंबिया – 73)

अहमद : यह तो नबियो के बारे मे है नबी तो इमाम हो सकता है बल्कि इमाम होता है क्योकि उसे अल्लाह इमाम बनाता है नबी के सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता ।

अब्दुल्लाह : आप कहते है कि नबी के सिवा इमाम नहीं हो सकता हालांकि इस्लाम मे बड़े बड़ें अइम्मा–ए–दीन गुजरे है ।

अहमद : अइम्मा–ए–दीन से मुराद यह है कि वो दीनी ऊलूम के बड़े आलिम थे न कि काबिल इताअत । इस किस्म की इमामत का तसव्वुर इस्लाम मे बिल्कुल नहीं है । सब से पहले यह अकीदा शीयाओ ने घड़ा, अहले सुन्नत ने यह अकीदा उन से लिया । शिया ने यह अकीदा अकीदा ए रिसालत को कमजोर करने के लिए घड़ा था, उनके यहां पैगम्बर और इमाम में कोई फर्क नहीं । मुकल्लिद चाहे सुन्नी हो या शीआ इमामत का तसव्वुर करीबन एक ही है ।

अब्दुल्लाह : शीआ तो अपने इमाम को मासूम कहते है हम अपने इमाम को मासूम तो नहीं कहते ।

अहमद : ज़बान से बेशक न कहे लेकिन समझते मासूम ही है, जब ही उन के नाम पर मज़हब बना कर हनफी कहलाते है इसीलिए हम कहते है कि इस्लाम मे सिवाये पैगम्बर के कोई इमाम नहीं हो सकता ।

अब्दुल्लाह : इमाम तो हमने इस लिए बनाया है कि कयामत के रोज बुलाया ही इमामो के नाम पर जायेगा जैसा कि कलाम पाक की आयत ''जिस दिन हम सब लोगों को उनके इमामो के साथ बुलायेगे'' (सुरह बनी इस्राईल–71) ।

अहमद : इस आयत मे इमाम से मुराद नामा ए आमाल है आप के बनाये हुये इमाम नहीं इसी के आगे वजाहत मौजूद है हम तमाम लोगों को उन के नामा ए आमाल के साथ बुलायेगे फिर जिस के दाये हाथ मे नामा ए आमाल दे दिया गया वो उस को पढ़ेगा और खुश होगा । जुल्म किसी पर न होगा – लेकिन इमाम का मतलब इमाम ही लिया जाय तो इमाम वो है जिन को अल्लाह ने इमाम बनाया है यानी अंबिया अलैहिस्सलाम , कयामत के रोज उम्मतो को उन के अंबिया के नाम पर पुकारा जायेगा । फिर खुश किस्मत होगे वो लोग जिन्होने अपने इमाम बना कर उनकी तकलीद नही की बल्कि नबियो की पैरवी की, वो अपने नबियो के साथ जन्नत मे चले जायेगे अहले हदीस के लिए यह बहुत बड़ा शर्फ है कि उन के इमाम सिर्फ नबी ए अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उन के साथ जन्नत मे चले जायेगे और गैर नबी की बात को हुज्जत समझने वाले और गैर नबी की पैरवी करने और गैर नबी को अपना इमाम बनाने वाले खड़े रह जायेगे । क्योकि आयत के शुरू मे ही वजाहत है कि हम सभी लोगों को बुलायेगे इसमे मुसलमान, यहूदी नसारा, सब शामिल है क्योकि अल्लाह ने सब की तरफ नबी भेजे है, अगर इससे मुराद सिर्फ इमाम होते तो अल्लाह फरमाता कि हम सभी मुसलमानो को उनके इमामो के साथ बुलायेगे । और आपके इमाम अबू हनीफा रह0 तो है नहीं क्योकि उन्होने तो कभी नहीं कहा कि मै तुम्हारा इमाम हूं मेरी तकलीद करना ।

अब्दुल्लाह : हम जो इनको मानते है और इमाम समझते है ।

अहमद : आप के समझने और कहने से क्या होता है ? जब तक इमाम इक्तिदा की नियत न करे वो इमाम कैसे बन जायेगा ? आप तो यह बताये कि देवबन्दी और बरेलवी दोनो ही अबू हनीफा रह0 को इमाम मानते है । अब देवबंदी और बरेलवी दोनो तो जन्नत मे जा नहीं

सकते इसलिए कि वो एक दूसरे को काफिर कहते है तो फिर इमाम अबू हनीफा रह0 किस के साथ होगे क्योकि वो तो दोनो के इमाम है । इसी तरह अगर शीआ अपने इमामो के साथ जन्नत मे चले गये तो फिर सुन्नी अपने इमामो के साथ कहां जायेगे और सुन्नी अगर जन्नत मे चले गये तो शीआ कहां जायेगे जन्नत मे तो दोनो जा नहीं सकते अब आप ही बताये आप के उसूल पर शीआ इमाम दोज़ख मे जायेगे या सुन्नी हांलांकि इमाम दोनो फिरको के नेक और स्वालेह थे और वो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत मे जायेगे

अब्दुल्लाह : बात तो आप की ठीक है यह इमामो का मसला है तो यकीकनन बहुत बड़ा चक्कर ।

अहमद : ऐसा ही चक्कर वो है जो मुकल्लिदीन कहते है कि हम अपने इमामों और औलिया के साथ होगे क्योकि हमे उन से मुहब्बत है और अहले हदीस चूंकि किसी को मानते नहीं इसलिए उनको किसी का भी साथ नसीब नहीं होगा । हम तो एक बात जानते है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी उस से मुहब्बत नहीं रखेगे जो हुजूर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद उन की इत्तिबा न करे । इसी तरह हज़रत हुसैन रजि0 शाह जिलानी रह0 और दूसरे इमाम व औलिया कभी किसी ऐसे से मुहब्बत नहीं रख सकते जो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न करे बल्कि शिर्क व बिदअत करे और अपनी तरफ से इमाम बना कर उन की तकलीद करे । वो सब जानते है कि इताअत सिर्फ अल्लाह के हुक्म की है इस लिए वह अपनी पैरवी किस तरह करा सकते है ? कुरआन मजीद मे है ''उसके पीछे चलो जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारा है उस का हुक्म मानो, उस का हुक्म छोड़ कर औलिया के पीछे न जाओ 1'' औलिया से मुराद यहां वो हस्तियां है जिन को लोग खुद तजवीज करते है और अपने लिए ज़रिया–ए–निजात समझ कर सहारा बनाते हैं हालांकि सिवाये पैगम्बर की पैरवी के और कोई निजात का जरिया नहीं है । दुनिया मे जितने शिर्क व बिदअत करने वाले हैं हकीकत मे उन का पीर, उनका इमाम और उनकी वली सिर्फ शैतान है वो नाम अल्लाह वालो और इमामो का लेते है लेकिन पैरवी शैतान की करते है । कुरआन शैतान की पैरवी से मना करता है । कुरआन कहता है ''शैतान की इबादत न करो (यासीन –60) ''शैतान की पैरवी न करो (अल बकरा –168) कयामत के रोज़ जब अल्लाह तआला दोज़खियो को दोज़ख मे डालने के लिए अलेहदा कर लेगा तो फरमायेगा '' ऐ इंसानो क्या मैने तुम्हे नहीं बताया था कि शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इबादत मेरी

करना यही सीधा रास्ता है, किन तुमने परवाह न की, उसने तुम मे से कितनी भारी तादाद मे गुमराह कर लिया है, क्या तुम बेअक्ल थे जो तुम्हे पता नही लगा'' (सुरह यासीन –60,61) यह होता यूं है कि जब शैतान किसी को नबी की पैरवी मे जरा नर्म देखता है तो फौरन उस को अपने दामन मे लेने की कोशिश करता है, अपने बड़े बड़े इंसानी चेलो के जरिये नबी की जगह पैरवी के लिए उन बुजुर्गो के नाम तजवीज़ करता है जिन की दुनिया मे मकबूलियत व शोहरत होती है, उन के नाम पर शिर्क व बिदअत के बड़े बड़े सिलसिले जारी करता है (तसव्वुर उन बुजुर्गो का पेश करता है और पूजा पाठ अपनी कराता है) अनपढ़ जाहिल उन बुजुर्गो के नामो की वजह से उसके धोखे मे आ जाते है और उस की पैरवी करने लग जाते है और नहीं समझते कि हम किस उल्टी राह पर लग गये है बल्कि उस उल्टी राह को ही राहे रास्त समझते हहै । अल्लाह फरमाता है ''शैतान के गुमराह किये हुए लोग काम गलत करते है लेकिन जिहालत की वजह से यह समझते है कि हम बहुत अच्छा कर रहे है''(अल कहफ–104) यह कितना बड़ा धोखा है और अल्लाह ने उस के धोखे से बार बार खबरदार किया है ''होशियार रहना, धोखेबाज तुम को धोखा देकर खुदा से दूर न कर दे, यह धोखेबाज़ शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसे दुश्मन ही समझना'' शैतान इमामों और औलियाओं का नाम लेकर ऐसा ज़ेहन तैयार करता है कि वो उनकी इबादत शुरू कर दतें है । रह गये असली बुजुर्ग जिन के नाम लेकर शैतान अपनी इबादत करवाता है उन को पता तक नहीं होता कि उन के मानने वाले कौन है और वो क्या करते है । वो बुजुर्ग बिल्कुल बेखबर होते है । कुरआन मजीद मे है ''जिन को तुम पुकारते हो, जिन की तुम इबादते करते हो वो तुम्हारी इन हरकतों से बिल्कुल बेखबर है कयामत के दिन वो तुम्हारे मुखालिफ होगे (सुरे अल अहकाफ –5)(सुरे युनुस–28)(सुरे मरयम–82) ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा ''ऐ ईसा ईसाई जो तेरी और तेरी मां की इबादत करते है तो क्या तुने उन से कहा था कि ऐसा करना''(सुरह अल माइदा –116) वो साफ इंकार कर देंगे । ऐसे इमाम अबू हनीफा रह0 और दूसरे औलिया भी साफ इंकार कर देगे कि हमने उन से नहीं कहा था कि हमारी तकलीद करना, यह सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहे है । इसलिये तकलीद का सिलसिला सरासर गुमराही है उस से बिल्कुल बचना चाहिए । अब आप खुद देखे कि आप को सुन्नते रसुल चाहिये या सुन्नते इमाम ? अगर

सुन्नते रसुल चाहिये तो वो हदीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी और सुन्नते इमाम चाहिये तो वो फिकहा ए हनफी से मिलेगी ।

अब्दुल्लाह : सुन्नत रसूल की होती है न कि इमाम की ।

अहमद : अगर इमाम की सुन्नत नहीं है तो आप हनफी क्यो बने ? आखिर हनफी किसे कहते है

अब्दुल्लाह : हनफी वो होता है जो कि फिकहा ए हनफी पर चले ।

अहमद : फिकहा ए हनफी किसे कहते है ?

अब्दुल्लाह : इमाम अबू हनीफा रह0 के मसलक को ।

अहमद : मसलक से क्या मुराद है ?

अब्दुल्लाह : मसलक तरीके को कहते है ।

अहमद : सुन्नत भी तो तरीके को ही कहते है । जब हम कहते है कि यह हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो इसका यह मतलब होता है कि यह उन का तरीका है इस तरीके से नबी करीम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने यह काम किया था करने को कहा था । तो जिस तरीके पर आप चलते हैं इस तरह आप उनकी सुन्नत पर अमल करते है कहिए यह ठीक है या नहीं ?

अब्दुल्लाह : यह बिल्कुल ठीक है यह बात मेरी समझ मे आ गई ।

अहमद : इसीलिए तो हम कहते है कि हनफी इमाम अबू हनीफा रह0 के तरीके पर चलता है और अहले हदीस रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ।

अब्दुल्लाह : लेकिन इमाम अबू हनीफा रह0 को तरीका कोई अलेहदा तो नहीं उनका तरीका भी तो वही है जो रसुल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम को है ।

अहमद : तरीका वहीं हो या मुख्तलिफ हनफी के पेशे नजर तो तरीका ए हनफी ही होता है, वो तो हनफी तरीके पर ही चलता है, जो उस के मज़हब मे है चाहे वह सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो वो उस पर जान देता है ।

अब्दुल्लाह : मैं यह मानता हूं हमें बिल्कुल यह ख्याल नहीं होता कि हमारा यह मसला सुन्नते रसुल के मुताबिक है या मुखालिफ हमें तो यह याद होता है कि हम हनफी है और हमे अपने फिकहा पर चलना है, हम तो अपने इमाम के मज़हब पर चलेंगे । अगर हमारे इमाम ने किसी हदीस पर अमल नहीं किया तो हम क्यो करे ।

अहमद : ठीक है जब वो सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता नहीं, और अपने ईमाम की सुन्नत पर चलता है तो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो ''मुहम्मद रसुलुल्लाह'' साथ पढ़े और अहले सुन्नत होने का दावा करे । जिस पाबन्दी से आज एक हनफी अपने इमाम की तकलीद करता है अगर वो उसी पाबन्दी के साथ इत्तिबा-ए-रसुल करे तो उस की निजात हो जायेगा ।

आप जो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद करते है अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीद भी करें तो भी निजात नहीं । हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ''अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे वास्ते जाहिर हो जाये और तुम उनके पीछे लग जाओ तो गुमराह हो जाओ, और अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम होते तो उनको भी सिवाए मेरी इताअत के और कोई चारा न होता'' । अब आप खुद सोच ले कहां मूसा अलैहिस्सलाम और कहां इमाम अबू हनीफा रह0 जब नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी के बाद मुसा अलैहिस्सलाम की पैरवी मे निजात नहीं तो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद में कैसे निजात हो सकती है । बल्कि हम तो खुद इमाम अबू हनीफा रह0 के कौल पर अमल करते है कि आप का फरमान है ''मेरी बात पर फतवा या अमल तब तक न करो जब तक तुम्हे ये ना पता हो कि मैने कहां से कही'' यानि बगैर दलील अमल मत करो । ''और जब मेरी बात हदीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाये तो उसे दीवार पर मार दो'' और दीन वही से लो जहां से हमने लिया यानि कुरआन व सुन्नत से, जब हदीसे सहीह मिल जाये वही मेरा मज़हब है'' ये जुमले तो खुद बता रहे है कि इमाम साहब खुद अहले हदीस थे

हम तो आप को रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दे रहे है जिन का आप कलमा पढ़ते है जिन की पैरवी मे ही निजात है और इस से बाहर निजात का कोई तसव्वुर नहीं । सोच ले मामला निजात का है अगर इस हनफियत पर आप का खात्मा हो गया तो मामला बड़ा खतरनाक है ।

क्योकि कुरआन फरमाता है :-

1) और अल्लाह और उसके रसुल की इतआत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाय (आले इमरान–132)

2) और जब उनको कोई कहे कि अल्लाह और उसके रसुल के हुक्म की तरफ आओ, तु मुनाफिको को देखता है सामने आने से रूकते है (सुरह निसा –61)

3) तेरे रब की कसम हर्गिज ये लोग ईमानदार न होगे जब तक आपस के इख्तेलाफ मे तुझे ही इंसाफ करने वाला न बना ले (सुरह निसा–65)

4) और जब कोई उनसे कहे कि अल्लाह के हुक्म और रसुल के रास्ते पर आओ तो कहते है कि जिस राह पर हमने बाप–दादाओं को पाया वही हम को काफी है । अगर्चे उनके बाप–दादा न कुछ जानते हो और न सीधी राह पाये हो (सुरह बकरा–170)(सुरह माइदा–104)

5) और कहो यही मेरा सीधा रास्ता है बस तुम उसी की ताबेदारी करो, और दुसरे रास्तो की ताबेदारी न करो वरना तुम को अल्लाह की राह से तितर–बितर कर देगे । इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि तुम परेहजगार हो । (सुरह अनआम –152)

6) और जो कुछ तुम्हे रसुल दे और जिस चीज़ से मना करे उससे रूक जाओ (अल हश्र–7)

7) ऐ लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह की इताअत करो व उसके रसुल की इताअत करो और (उनकी मुखालेफत करके) अपने आमाल बरबाद मत करो (मुहम्मद –33)

8) ऐ रसुल कह दीजिये ''अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो खुद अल्लाह तआला तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा (आले इमरान –31)

9) सुनो जो लोग हुक्मे रसुल की मुखालेफत करते है उन्हे डरते रहना चाहिये कि कही उन पर कोई जबरदस्त आफत या दर्दनाक अज़ाब न आ पड़े (सुरह नूर –63)

10) जिसने रसुल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मूंह मोड़ा तो हमने तुम्हे ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर नही भेजा (सुरह निसा–80)

वा आखरूदवानि वलहम्दुल्लिाहे रब्बिल आलेमीन

इस्लामिक दावाअ सेन्टर,

रायपुर, छत्तसीगढ़

CONTACT

ISLAMIC DAWAH CENTER
RAIPUR
QAZI ADNAN AHMED
9009911122
WWW.FACEBOOK.COM/IDCRAIPUR